राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या–8 / 22 — दायर दिनांक:–10.03.2022

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. रामधन पुत्र रामेश्वर
2. छोटू पुत्र रामेश्वर
3. श्योजी पुत्र रामेश्वर

सर्वजाति जाट, सर्वनिवासीगण ग्राम बुहारू, तहसील रूपनगढ़

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. पूरण पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी बुहारू
2. सॉझा देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नि जगदीश जाति जाट निवासी बुहारू हाल नलू तह0 क़शनगढ़ सर्वजाति जाट सर्वनिवासीगण ग्राम खाजपुरा तह0 रूपनगढ़
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़
4. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ोदा, शाखा हरमाड़ा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) रा0का0अधि0

दिनांक 03.08.2022

निर्णय

उपस्थित अधिवक्ता– श्री विमल किशोर तिवाड़ी प्रार्थीगण की ओर से

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी
की कृषि भूमि खाता संख्या 318 के खसरा नंबर 320 रकबा 1.2296 है0 भूमि ग्राम बुहारू
पटवार हल्का बुहारू, भू0अ0नि0 क्षेत्र हरमाड़ा तहसील रूपनगढ़ में अवस्थित है। प्रार्थीगण
की वाद वर्णित आराजी के दक्षिण दिशा में संयुक्त खातेदारी में खातेदार काश्तकार अर्थात
अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 की संयुक्त खातेदारी है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 की
संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 318 में से दक्षिण दिशा की सींव मेड़ के सहारे
प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि में आनें जाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग करते आ
रहे है, जो वर्तमान में मौके पर रास्ते के रूप में मौजूद है। जिसमें ख0न0 320 के
प्रार्थीगण के अलावा भी अन्य सहखातेदार है लेकिन सहखातेदारों को आने जाने हेतू
अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 द्वारा मना नहीं किया गया है वह इस रास्ते से आते जाते है
केवल मात्र प्रार्थीगण को आनें जाने हेतु मना किया है, इसलिए ख0न0 320 के अन्य
सहखातेदारों द्वारा इस रास्ते की मांग नहीं की गई है। मौके पर ख0न0 320 के पश्चिम
दिशा में प्रार्थीगण का मौके पर मौखिक बंटवारा हो रखा है व कब्जा काश्त करते आ रहे
हैं। प्रार्थीगण की कृषि भूमि में पहुंच हेतु निकटतम सरल रास्ता उपलब्ध होना आवश्यक है
जो अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 की कृषि भूमि ख0न0 318 की दक्षिण सीमा सींव मेड़
के सहारे होते उसके आगे लगता हुआ रिकॉर्डेड रास्ता ख0न0 242 को जोड़ता है।
प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0न0 320 के उत्तर दिशा में लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 लगायत
2 की खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 318 है उसके आगे रिकार्डेड रास्ता ख0न0 242 की
कृषि भूमि तक पहुंच के लिए रास्ते ख0न0 318 से लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2
की खातेदारी कृषि भूमि 318 की दक्षिण दिशा की सीमा सींव मेड़ डोल के सहारे 15 फीट
चौड़ा रास्ता मुख्य रिकॉर्डेड रास्ता ख0न0 242 तक चाहते है। मुख्य रास्ते की नक्शे की
तरमीम हो रखी है तथा मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग, उपभोग में चला आ रहा हैं।
अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 की उक्त खातेदारी की भूमि ख0न0 318 की दक्षिण दिशा से
सींव मेड़ से लगता हुआ उक्त रास्ता प्राप्त हो [illegible] अपनी खातेदारी की कृषि भूमि
में रिकोर्डेड रास्ता से होते हुए अप्राथी संख्या [illegible] 2 की ख0न0 318 की सींव मेड़ के
सहारे होते हुए अपने खेत तक आ जा सकते [illegible] सुगम, निकटतम रास्ता है।
प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 320 [illegible] र्थी संख्या 1 लगायत 2 की खातेदारी
की भूमि ख0न0 318 में से प्राप्त करने वाले इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न [illegible] नक्शा
में लाल रंग से दर्शित किया गया है। वर्तमान आ[illegible]क युग में कृषि उपकरण [illegible] लाने ले
जाने हेतु कम से कम 15 फीट चौड़ा रास्ता होना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 4 को
अप्रार्थीगण की भूमि रहन होने के कारण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है।
अप्रार्थी संख्या 3 भूमिधारक होनें के कारण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.12.15 14:26:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित परन्तु बाद की तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 3 (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार प्रार्थी ने ग्राम बुहारू के ख0न0 318 के दक्षिण–पश्चिमी कोने के सहारे सहारे 20 फीट चौड़े रास्ते की मांग की है, जो लघुतम रास्ता है। उक्त ख0न0 318 में से 5 मीटर चौड़ा रास्ता दिए जाने पर भूमि का रकबा 0.018 है0 बनता है जिसकी डी0एल0सी दर रूपये 108079/–प्रति हैक्टेयर के हिसाब से भूमि की कीमत 1945 रू बनती है। वकील प्रार्थी की प्रकरण में बहस सुनी गयीं।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अध्ययन, अवलोकन एवं बहस अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बुहारू के ख0न0 320 में आवागमन हेतु ख0न0 318 में से 5 मीटर चौड़ा रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उक्त रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का रकबा 0.018 है0 होता है, जिसकी डी0एल0सी0 दर 108079/–प्रति हैक्टेयर के हिसाब से भूमि की कीमत 1945 रू बनती है, जिसकी दुगुनी राशि 3890/– रूपये अक्षरे– तीन हजार आठ सौ नब्बे रूपये मात्र बनती है। खसरा नम्बर 318 में से रास्ते हेतु प्रयुक्त होने वाला रकबा, खातेदार एवं रकम का विवरण निम्नानुसार है–

क0स0	ख0न0	खातेदार	रकबा (है0)	दुगुनी राशि
01	318	पूरण पुत्र रामचन्द्र	0.0135	2917
02	318	साँझा पुत्री रामचन्द्र	0.0045	973

प्रार्थी द्वारा उक्त राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को भुगतान हो। भुगतान की कार्यवाही पश्चात् तहसीलदार रूपनगढ़ को राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.12.15 14:26:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)